

संशोधन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या - एनआईटीएन/सम्बद्धता/2021/3537

दिनांक: 03/08/2021

संशोधन पत्र

प्रतिम संशोधन तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली, पारंपरिक कठिनित जौन इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 29/08/2021 को परिषद काशीनगर में सम्बद्धता समिति की बैठक संवला हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संशोधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विदेशीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश को प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमोदन एवं उसी अधीन प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता : 4896-SAMA MAHENDRA COLLEGE OF PHARMACY VILL-
DHERAJOTE, POST-SIKHRIE, TEHSIL- JAKHANIYA, GHAZIPUR-275293

क्र.सं.	पदव्यवस्था का नाम	संस्था/प्राधिकृत/प्राधिकृत/प्राधिकृत द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश प्रदान
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एनआईटीएन/संशोधित/संशोधित/संशोधित द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद एक्ट 1982 तथा प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद विनियमकारी 1992, सेक्टर विनियमकारी-2016 तथा अन्य विनियम विनियमों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (एन सीपी इंडिया) प्रदान करेगी हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, एन सीपी पारंपरिक हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा एन सीपी पारंपरिक (एन सीपी पारंपरिक) प्रदान करने हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रदान करेगी। प्रदान किए जाने पर उपरोक्त के अधीन प्रदान करने हेतु शुल्क के समझौते में समझौते पर समझौते द्वारा निर्धारित किये जाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करेगी तथा प्रदान प्रदान करेगी। प्रदान निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-

- ✓ संस्था को (2020) वार्षिक वित्त विवरणों तथा उप विवरणों, संपत्तियों को समझ किया जाना वित्तव्यवस्था-2020 को सही का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के रिजल्ट एवं अन्य की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त समय पर निर्देश सकारांतर के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को 10/20/2010/2010/2010/2010 से सम्बंधित एवं हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कबले गये विधिविधानों/अधिनियमों/संश्लेषणों/निर्देशों एवं निर्देशक, वार्षिक वित्त, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा वार्षिक वित्त परिषद, 2020 द्वारा कबले गये विधियों, विधिव्यवस्था, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विधिव्यवस्था एवं कार्यवाही अनुपालन की समस्याएं यदि होती हैं, तब तत्पश्चात् से अनुसंधान प्राप्त करने में असमर्थता होगी। जो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था उत्तरदायी होगी। वार्षिक वित्त परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, वार्षिक वित्त निर्देशानुसार एवं वार्षिक वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बात दायर किया जाना है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में नए न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधित आदेश निर्देश किया जाना है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधिव्यवस्था एवं कार्यवाही अनुपालन संबंधित करने वाली संपत्तियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कबले गये के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयों पर प्रवेश होने के पूर्व 10/20/2010 से अनुसंधान प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को प्रभावित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आयोजित) के अनुपालन में प्रवेश संस्था द्वारा या सीटी प्रवेश) अनुसंधान नहीं करना की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश नवीनतम आदेशों के अनुसार निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिका भूमि, भवन, साज-सज्जा, उपकरण, ध्यान किया जाने वाला सुनिश्चित, कार्यवाही सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को वित्त-व्यवस्था हेतु उपयुक्त कार्यवाही प्रभावित करने के साथ वैश्वीकरण के सम्बंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में आयोजित संबंधित अनुसंधान को कबले जाने हेतु वित्तियन समिति के समस्त उपलब्ध कबले गये अधिनियम, भूमि-सूचना, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य अनुसंधान के सम्बंध में प्रवेश किया जाना है, और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निर्देशानुसार टीएन यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यवेक्षण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 10/20/2010/2010/2010/2010/2010/2010/2010/2010 के अनुसार समस्त नहीं प्राप्त जाना है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सही का अनुपालन न किये जाने अथवा सही का अनुपालन किये जाने की स्थिति में वित्तव्यवस्था अनुसंधान/सूचना कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

हरिन

पुस्तक संख्या: 2021/0538-400

दिनांक: 09/08/2021

पता:-

सुनील कुमार शर्मा, SAMA MAHENDRA COLLEGE OF PHARMACY VILL-CHIRAJOTE, POST-
SIKRIE, TEHSIL- JAJHANIYA, GHAZIPOUR-275302.



(सुनील कुमार शर्मा)

हरिन